

दिनांक 05 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए  
कालानमक चावल का निर्यात

2744. श्री जगदम्बिका पाल:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) 2012 में भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग की घोषणा के बाद से कालानमक चावल के निर्यात का व्यौरा क्या है;
- (ख) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कालानमक चावल को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और
- (ग) क्या सरकार अन्य स्वदेशी अनाज, दाल या अनाज किस्मों को जीआई टैग देने पर विचार कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) भारत में, उत्पादों को 8-अंकीय टैरिफ मर्दों में वर्गीकृत किया गया है जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अंतर्गत अधिसूचित हैं। बासमती चावल को छोड़कर, दिनांक 30 अप्रैल 2025 तक कालानमक चावल सहित चावल की अन्य जीआई किस्मों के लिए कोई अलग एचएस कोड नहीं था। दिनांक 1 मई 2025 से प्रभावी, सरकार ने भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा मान्यता प्राप्त चावल के लिए नए टैरिफ मर्दे बनाई हैं। तदनुसार, कालानमक चावल के लिए कोई अलग निर्यात डेटा नहीं है, क्योंकि इसका निर्यात गैर-बासमती चावल के अंतर्गत दर्ज किया गया था। वर्ष 2012 से गैर-बासमती चावल के निर्यात डेटा निम्नानुसार है:

वर्ष	निर्यात मूल्य (मिलियन अमेरिकी डॉलर)
2011-12	1806.03
2012-13	2651.97
2013-14	2917.76
2014-15	3334.71
2015-16	2368.64
2016-17	2531.47
2017-18	3564.39

<b>2018-19</b>	<b>3047.83</b>
<b>2019-20</b>	<b>2014.60</b>
<b>2020-21</b>	<b>4799.91</b>
<b>2021-22</b>	<b>6124.27</b>
<b>2022-23</b>	<b>6355.74</b>
<b>2023-24</b>	<b>4570.06</b>
<b>2024-25</b>	<b>6527.69</b>

**स्रोत: डीजीसीआईएस**

(ख) वाणिज्य विभाग, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के माध्यम से, अपने सदस्य निर्यातकों को कालानमक चावल सहित अपने निर्धारित उत्पादों के निर्यात संवर्धन हेतु अपनी वित्तीय सहायता योजना (एफएएस) के माध्यम से, वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस योजना के तीन घटक: निर्यात अवसंरचना का विकास, गुणवत्ता विकास और बाजार विकास हैं। इस योजना के दिशानिर्देश एपीडा की वेबसाइट [www.apeda.gov.in](http://www.apeda.gov.in) पर "स्कीम" टैब के अंतर्गत उपलब्ध हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त, कालानमक चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- i. वर्ल्ड फूड इंडिया, इंडस फूड और दुबई में गल्फूड वर्ष 2024, में प्रदर्शन करके कालानमक चावल का प्रचार। इन आयोजनों में, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को कालानमक चावल का प्रदर्शन करने और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के साथ जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए रियायती प्रदर्शनी स्थल प्रदान किया गया।
- ii. अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (आईआरआरआई) दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र (आईएसएआरसी) को कालानमक चावल सहित पूरे भारत भर में गैर-बासमती चावल की किस्मों के व्यापक अनाज और पोषण संबंधी गुणवत्ता प्रोफाइलिंग और चावल तथा चावल आधारित खाद्य प्रणालियों से मूल्यवर्धित उत्पादों के विकास के लिए एक अनुसंधान परियोजना प्रदान की गई है।
- iii. एपीडा ने सिद्धार्थ नगर जिला प्रशासन के सहयोग से दिनांक 22 से 23 दिसंबर, 2024 तक सिद्धार्थ नगर में एक क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में किसानों, एफपीओ, प्रमुख निर्यातकों और निर्यातक संघों की भागीदारी शामिल थी।
- iv. वर्ष 2022 से सिद्धार्थ नगर में कालानमक चावल के हितधारकों के लिए लगभग दस प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें 6000 से अधिक प्रतिभागियों को शामिल किया गया है।

(ग) किसी उत्पाद को जीआई टैग प्रदान करना वस्तुओं के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 और वस्तुओं के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) नियम, 2002 द्वारा निर्देशित होता है। तदनुसार, उपर्युक्त अधिनियम और नियमों के तहत विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार योग्य पाए गए उत्पाद को भौगोलिक संकेत का दर्जा दिया जाता है।

\*\*\*\*\*